THE PAYMENT OF BONUS ACT, 1965

OBJECTIVE OF PAYMENT OF BONUS ACT

The Payment of Bonus Act, 1965 was enacted to provide for the payment of bonuses to persons employed in certain establishments based on profits or productivity and for the matters connected therewith.

a) To improve statutory liability to pay bonus reward for good work in case of profits or losses.
b) To prescribe a formula for calculating bonus
c) To prescribe minimum & maximum percentage of bonus
d) To provide of set-off/set on the mechanism
e) To provide a redressal mechanism

Sec-1. Short title, extent and application.—This Act may be called the Payment of Bonus Act, 1965.
(1) It extends to the whole of India
(2) It shall apply to every factory; and every establishment in which twenty or more persons are employed on any day during an accounting year:

Sec-2. Definitions-

a. **"Accounting year"** means—1st day of April and closed and balanced 31st day of March .
b. **"Employee"** means any person (other than an apprentice) employed on a salary or wage not exceeding [Rs. **21000**] per mensem in any industry to do any skilled or unskilled manual, supervisory, managerial, administrative, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied.
c. **Salary or wage"** means all remuneration (other than remuneration in respect of overtime work) but does not include—
(i) any other allowance which the employee is for the time being entitled to; (ii) the value of any house accommodation or of supply of light, water, medical attendance or other amenity or of any service or of any concessional supply of foodgrains or other articles;
(iii) any travelling concession; (iv) any bonus (including incentive, production and attendance bonus); (v) any contribution paid or payable by the employer to any pension fund or provident fund or for the benefit of the employee under any law for the time being in force;
(vi) any retrenchment compensation or any gratuity or other retirement benefit payable to the employee or any ex gratia payment made to him; (vii) any commission payable to the employee.

Sec-8. Eligibility for bonus.—Every employee shall be entitled to be paid by his employer statutory bonus, in accordance with the provisions of this Act, If he has worked in the establishment for not less than thirty days in the accounting year.

Sec-9. Disqualification for bonus.—notwithstanding anything contained in this Act, an employee shall be disqualified from receiving bonus under this Act, if he is dismissed from service for—
(a) fraud; or
(b) riotous or violent behaviour while on the premises of the establishment; or
(c) theft, misappropriation or sabotage of any property of the establishment.

Sec-10. Payment of minimum bonus.—Every employer shall be bound to pay to every employee in respect of the accounting year a minimum bonus 8.33 % of the salary of wage earned by the employee during the accounting year or **7000**, whichever is higher.

Sec-11. Payment of maximum bonus.—(1) Where in respect of any accounting year referred to in section 10, the allocable surplus exceeds the amount of minimum bonus payable to the employees under that section, the employer shall, in lieu of such minimum bonus, be bound to pay to every employee in respect of that accounting year bonus which shall be an amount in proportion to the salary or wage earned by the employee during the accounting year subject **to a maximum of 20%**. of such salary or wage or minimum wages whichever is higher. (2) In computing the allocable surplus under this section, the amount set on or the amount set off under the provisions of section 15 shall be taken into account in accordance with the provisions of that section.]

12. Calculation of bonus with respect to certain employees.—Where the salary or wage of an employee exceeds seven thousand rupees or the minimum wage for the scheduled employment, as fixed by the appropriate Government, whichever is higher per mensem, the bonus payable to such employee under section 10 or, as the case may be, under section 11, shall be calculated.

Sec-15. Set on and set off of allocable surplus.—(1) Where for any accounting year, the allocable surplus exceeds the amount of maximum bonus payable to the employees in the establishment under section 11, then, the excess shall, subject to a limit of twenty per cent. of the total salary or wage of the employees employed in the establishment in that accounting year, be carried forward for being set on in the succeeding accounting year and so on up to and inclusive of the fourth accounting year to be utilised for the purpose of payment of bonus in the manner illustrated in the Fourth Schedule.

Sec-18. Deduction of certain amounts from bonus payable under the Act.—Where in any accounting year, an employee is found guilty of misconduct causing financial loss to the employer, then, it shall be lawful for the employer to deduct the amount of loss from the amount of bonus payable by him to the employee under this Act in respect of that accounting year only and the employee shall be entitled to receive the balance, if any.

Sec-19. Time-limit for payment of bonus.—1 All amounts payable to an employee by way of bonus under this Act shall be paid by his employer—

a) Where there is a dispute regarding payment of bonus pending before any authority under section 22, within a month from the date on which the award becomes enforceable or the settlement comes into operation, in respect of such dispute;
b) In any other case, within a period of eight months from the close of the accounting year:

Sec-26. Maintenance of registers, records, etc.—Every employer shall prepare and maintain

1) Computation of the allocable surplus referred to in clause (4) of section 2, in **Form A.**
2) Set-on and set-off of the allocable surplus, under section 15, in **form B.**
3) Details of the amount of bonus due to each of the employees, the deductions under sections 17 and 18 and the amount actually disbursed, in **Form C.**
4) Annual returns. – Every employer shall send a return in **Form D** to the Inspector so as to reach him within 30 days after the expiry of the time limit specified in section 19 for payment of bonus.

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
बोनस भुगतान अधिनियम का उद्देश्य

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 को लाभ या उत्पादकता के आधार पर कुछ प्रतिष्ठानों में कार्यरत व्यक्तियों को बोनस के भुगतान और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था।

क) लाभ या हानि के मामले में अच्छे काम के लिए बोनस इनाम का भुगतान करने के लिए वैधानिक दायित्व में सुधार करना।
ख) बोनस की गणना के लिए एक फार्मूला निर्धारित करना
ग) बोनस का न्यूनतम और अधिकतम प्रतिशत निर्धारित करना
घ) तंत्र पर सेट-ऑफ/सेट प्रदान करना
ई) एक निवारण तंत्र प्रदान करना

धारा-1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और अनुप्रयोग।—इस अधिनियम को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 कहा जा सकता है।
(1) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारतवर्ष तक है
(2) यह हर कारखाने पर लागू होगा; और प्रत्येक प्रतिष्ठान जिसमें एक लेखा वर्ष के दौरान किसी भी दिन बीस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं:

धारा--2. परिभाषाएं
एक। "लेखा वर्ष" का अर्थ है- अप्रैल का पहला दिन और मार्च का 31 वां दिन बंद और संतुलित।
बी। "कर्मचारी" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति (प्रशिक्षु के अलावा) जो वेतन या मजदूरी पर कार्यरत है जो [रु. 21000] प्रति माह किसी भी उद्योग में किसी भी कुशल या अकुशल मैनुअल, पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या लिपिक कार्य को किराए या इनाम के लिए करने के लिए, चाहे रोजगार की शर्तें व्यक्त या निहित हों।
सी। वेतन या मजदूरी" का अर्थ है सभी पारिश्रमिक (ओवरटाइम काम के संबंध में पारिश्रमिक के अलावा) लेकिन इसमें शामिल नहीं है-
(i) कोई अन्य भत्ता जिसका कर्मचारी फिलहाल हकदार है; (ii) किसी गृह आवास या रोशनी, पानी, चिकित्सा देखभाल या अन्य सुविधा की आपूर्ति या किसी सेवा या खाद्यान्न या अन्य वस्तुओं की किसी रियायती आपूर्ति का मूल्य;
(iii) कोई यात्रा रियायत; (iv) कोई भी बोनस (प्रोत्साहन, उत्पादन और उपस्थिति बोनस सहित); (v) नियोक्ता द्वारा किसी पेंशन फंड या भविष्य निधि में या उस समय लागू किसी भी कानून के तहत कर्मचारी के लाभ के लिए भुगतान किया गया या देय कोई योगदान;
(vi) कर्मचारी को देय कोई छंटनी मुआवजा या कोई ग्रेच्युटी या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ या उसे किया गया कोई अनुग्रह भुगतान; (vii) कर्मचारी को देय कोई कमीशन।

धारा-8. बोनस के लिए पात्रता - प्रत्येक कर्मचारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, अपने नियोक्ता द्वारा वैधानिक बोनस का भुगतान करने का हकदार होगा, यदि उसने लेखांकन वर्ष में प्रतिष्ठान में कम से कम तीस दिनों तक काम किया हो।

धारा-9. बोनस के लिए अयोग्यता - इस अधिनियम में किसी बात के बावजूद, एक कर्मचारी इस अधिनियम के तहत बोनस प्राप्त करने से अयोग्य हो जाएगा, यदि उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है -
(एक धोखाधड़ी; या
(बी) प्रतिष्ठान के परिसर में दंगाई या हिंसक व्यवहार; या
(सी) प्रतिष्ठान की किसी भी संपत्ति की चोरी, दुरुपयोग या तोड़फोड़।

धारा-10. न्यूनतम बोनस का भुगतान - प्रत्येक नियोक्ता लेखांकन वर्ष के संबंध में प्रत्येक कर्मचारी को लेखांकन वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा अर्जित वेतन का न्यूनतम बोनस 8.33% या 7000, जो भी अधिक हो, भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

धारा--11. अधिकतम बोनस का भुगतान.—(1) जहां धारा 10 में निर्दिष्ट किसी लेखा वर्ष के संबंध में, आवंटन योग्य अधिशेष उस धारा के तहत कर्मचारियों को देय न्यूनतम बोनस की राशि से अधिक है, नियोक्ता, ऐसे न्यूनतम बोनस के बदले में, प्रत्येक कर्मचारी को उस लेखांकन वर्ष के संबंध में बोनस का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाएगा जो कि लेखांकन वर्ष के दौरान कर्मचारी द्वारा अर्जित वेतन या मजदूरी के अनुपात में अधिकतम 20% की राशि होगी। ऐसे वेतन या मज़दूरी या न्यूनतम मज़दूरी में से जो भी अधिक हो। (2) इस धारा के तहत आवंटन योग्य अधिशेष की गणना में, धारा 15 के प्रावधानों के तहत निर्धारित राशि या बंद की गई राशि को उस धारा के प्रावधानों के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा।]
धारा-12. कुछ कर्मचारियों के संबंध में बोनस की गणना.- जहां किसी कर्मचारी का वेतन या मजदूरी सात हजार रुपये या उचित सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम वेतन, जो भी प्रति माह अधिक हो, से अधिक है, तो देय बोनस ऐसे कर्मचारी की गणना धारा 10 के तहत या, जैसा भी मामला हो, धारा 11 के तहत की जाएगी।
धारा--15. आवंटन योग्य अधिशेष का सेट ऑन और सेट ऑफ - (1) जहां किसी भी लेखांकन वर्ष के लिए, आवंटन योग्य अधिशेष धारा 11 के तहत प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को देय अधिकतम बोनस की राशि से अधिक है, तो, अतिरिक्त, एक सीमा के अधीन होगा बीस प्रतिशत। उस लेखा वर्ष में प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों के कुल वेतन या वेतन का, अगले लेखा वर्ष में सेट करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और इसी तरह चौथे लेखा वर्ष तक भुगतान के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा। चौथी अनुसूची में वर्णित तरीके से बोनस का भुगतान।

धारा-18. अधिनियम के तहत देय बोनस से कुछ रकम की कटौती - जहां किसी भी लेखा वर्ष में, एक कर्मचारी को नियोक्ता को वित्तीय हानि पहुंचाने वाले कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो, नियोक्ता के लिए राशि से नुकसान की राशि की कटौती करना वैध होगा इस अधिनियम के तहत कर्मचारी को केवल उस लेखांकन वर्ष के संबंध में देय बोनस का भुगतान किया जाएगा और कर्मचारी शेष राशि, यदि कोई हो, प्राप्त करने का हकदार होगा।

धारा-19. बोनस के भुगतान के लिए समय-सीमा.—1 इस अधिनियम के तहत बोनस के रूप में किसी कर्मचारी को देय सभी रकम का भुगतान उसके नियोक्ता द्वारा किया जाएगा—
क) जहां धारा 22 के तहत किसी प्राधिकारी के समक्ष बोनस के भुगतान के संबंध में कोई विवाद लंबित है, उस तारीख से एक महीने के भीतर, जिस दिन पुरस्कार लागू हो जाता है या निपटान लागू हो जाता है, ऐसे विवाद के संबंध में;
ख) किसी अन्य मामले में, लेखांकन वर्ष की समाप्ति से आठ महीने की अवधि के भीतर:

धारा-26. रजिस्टरों, अभिलेखों आदि का रखरखाव - प्रत्येक नियोक्ता तैयार करेगा और बनाए रखेगा
1) प्रपत्र ए में धारा 2 के खंड (4) में निर्दिष्ट आवंटन योग्य अधिशेष की गणना।
2) प्रपत्र बी में धारा 15 के तहत आवंटन योग्य अधिशेष का सेट-ऑन और सेट-ऑफ गणना।
3) प्रपत्र सी में प्रत्येक कर्मचारी को देय बोनस की राशि, धारा 17 और 18 के तहत कटौती और वास्तव में वितरित की गई राशि का विवरण।
4) वार्षिक रिटर्न. - प्रत्येक नियोक्ता 30 दिनों के भीतर इंस्पेक्टर को प्रपत्र डी में एक रिटर्न भेजेगा, बोनस के भुगतान के लिए धारा 19 में निर्दिष्ट समय सीमा समाप्त के बाद.